प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
   प्र.इ.रि.स 277/23 दिनांक 20/10/2023
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धारा 7, पी.सी.एक्ट 1988(संशोधित2018)
   (2) अधिनियम भा.द.स. –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 360 समय 6.40 Pm
   (2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 19.10.2023 समय 05:21 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 10.10.2023 समय करीब 05:05 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 430 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय नगर निगम परिसर उदयपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
   परिवादी
   (1) नाम : – श्री भगवती मेहता
   (2) पिता का नाम : – श्री भंवरलाल जी
   (3) आयु : – 61 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – ठेकेदारी
   (7) पता : – **मकान नम्बर 184 रावजी का हाटा गणेश कॉलोनी जिला उदयपुर।**
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री अवैस मोहम्मद पुत्र श्री साबीर मोहम्मद, उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 260, मुखर्जी चौक, सब्जी मण्डी, उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	50,000 रूपये	

परिवादी श्री भगवती मेहता की फर्मो मैसर्स भगवती एवं ओम इन्टरप्राईजेज के द्वारा नगर निगम उदयपुर के उघानो के संधारण एवं रख रखाव कार्यो की निविदा होने से फर्मो के माह अगस्त एवं सितम्बर माह 2023 के अलग–अलग बिलो की राशि 787,924.96 रूपये के भुगतान की करने की एवज आरोपी श्री अवैस मोहम्मद हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता से रिश्वत राशि 50,000 रूपये मांग कर परिवादी के हाथ से ही अपने पास रखी हुई काली पोलिथीन की थैली में रखवाकर थैली को अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखने के बाद में अपने कार्यालय कक्ष में जाकर उक्त काले रंग की थैली को एक लकडी की अलमारी के उपर रखे हुऐ कपडे के फाईलो के बस्तो के बीच छुपाया जहां से रिश्वत राशि को बरामद किया गया।**

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 50,000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 10.10.2023 को करीब समय 05.05 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो एसयु उदयपुर ने उनके कक्ष बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे एक व्यक्ति का परिवादी श्री भगवती मेहता पुत्र श्री भंवरलाल जी मेहता एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता पुत्र श्री भगवती मेहता निवासीयान मकान नम्बर 184 रावजी का हाटा गणेश कॉलोनी उदयपुर के रूप में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री भगवती मेहता द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 पर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी भगवती मेहता एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता को अपने कक्ष में लेकर आया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अंकित किया गया कि " मैं भगवती मेहता पुत्र श्री भंवरलाल जी मेहता, जाती मेनारिया (ब्राह्मण) उम्र 61 वर्ष निवासी 184 रावजी का हाटा, गणेश कॉलोनी, उदयपुर (राज.) का रहने वाला हूं। मेरी फर्म मेसर्स भगवती मेहता व मेरी पत्नी श्रीमति मीरा मेहता की ओम इन्टरप्राईजेज के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं नगर निगम उदयपुर 01.07.20222 से 31.08.2023 तक का उदयपुर शहर के विभिन्न उधानो के संधारण व रख रखाव हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्यादेश (टेण्डर) मेरी व मेरी पत्नी की फर्म ने ले रखा है। उक्त कार्यो का हर महिने के अलग- अलग बिल बनाकर नगर निगम उदयपुर, सहायक अभियंता के हस्ताक्षर के पश्चात लेखाधिकारी द्वारा बिल पास कर RTGS कर हमारे फर्मो के खातो में राशी जमा करवाई जाती है। माह अगस्त 2023 भगवती मेहता फर्म का बिल नम्बर 56 दिनांक 02.09.2023 का राशि 2,09,894 /- इसी प्रकार ओम इन्टरप्राईजेज का माह अगस्त 2023 का बिल नम्बर 60 दिनांक 02.09.2023 राशि 2,08,907 एवं माह सितम्बर 2023 का भगवती मेहता फर्म का बिल नम्बर 57 दिनांक 02.10.2023 का राशि 1,85,219.96 /- एवं ओम इन्टरप्राईजेज का बिल नम्बर 61 दिनांक 02.10.2023 राशि 1,83,904 /- होते है। इस प्रकार दोनो फर्मो के माह अगस्त व सितम्बर 2023 के कुल राशि 787,924.96 रूपये के बिल नगर निगम उदयपुर में बकाया चल रहे है। उक्त बिलो की राशि का भूगतान कराने के बदले में श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन नगर निगम उदयपुर 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मै श्री आवेश मोहम्मद को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। श्री आवेश मोहम्मद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ मेरी आवेश मोहम्मद से कोई रंजिश या पुरानी लेन देन बाकी नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करावें। धन्यवाद"। परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। जिस पर मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया। परिवादी ने बताया कि श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब बहुत शातिर है कभी भी मुझे फोन कर रिश्वत राशि मांग के लिये बुला सकते है। इसलिये जब वो मुझे बुलायेंगे तो मैं आपको फोन पर बता दूंगा। जिस पर परिवादी एवं उसके पुत्र को गोपनीयता बरतने की हिदायत रूखसत किया।

दिनांक 16.10.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री भगवती मेहता के मोबाईल फोन पर कॉल करने पर परिवादी ने बाद में कॉल कर बताया कि श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन नगर निगम उदयपुर ने अभी तक मुझसे संम्पर्क नहीं किया है। जब श्री आवेश मोहम्मद मुझे बुलायेंगे तो मैं आपके कार्यालय पर आ जाउंगा। दिनांक 17.10.2023 को परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता दोनो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज ही कुछ समय पूर्व श्री आवेश मोहम्द एक्सईएन साहब ने अपने मोबाईल नम्बर 9829680305 से मेरे मोबाईल नम्बर 9414733355 पर कॉल कर बताया कि कल दिनांक 18.10.2023 को प्रातः 9.30 बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। इसलिये मैं कल दिनांक 18.10.2023 को नगर निगम उदयपुर जाकर श्री आवेश मोहम्मद से वार्ता करूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड निकालकर उसके संचालन एवं रख रखाव की विधी को भलीभांति समझाया गया। तत्पश्चात् कानि श्री दिनेश कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता से आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी एवं कानि श्री दिनेश कुमार के मोबाईल नम्बर आपस में आदान प्रदान करा परिवादी के साथ दिनांक 18.10.2023 को नगर निगम उदयपुर जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी एवं उसके पुत्र को गोपनियता बरतने की हिदायत दी गई एवं दिनांक 18.10.2023 को श्री दिनेश कुमार कानि से आपस में सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने की हिदायत देकर रूखसत किया।

दिनांक 18.10.2023 को समय करीब 10:45 एएम पर श्री दिनेश कुमार कानि ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को देकर बताया कि ''आपके निर्देशानुसार में आज दिनांक को समय करीब 9.30 एएम पर कार्यालय आकर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा अपने साथ लेकर परिवादी श्री भगवती मेहता से सम्पर्क किया जिस पर परिवादी एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता नगर निगम उदयपुर के बाहर मिले। जिनसे सम्पर्क कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हूआ चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दोनो को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु संदिग्ध आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के कार्यालय नगर निगम उदयपुर में जाने हेतु रवाना किया तथा मैं आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा था। कुछ समय बाद परिवादी एवं उसका पुत्र दोनो मेरे पास आये परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू अवस्था में मुझे दिया जिसे मेने बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि '' श्री आवेश मोहम्मद जी एक्सईन साहब ने कहा कि आप लेट हो गये मैं अभी मिटींग में जा रहा हूं। शाम को बात करेंगे'' उक्त वार्ता को मेने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि आज शाम को वार्ता होगी तो मैं आपको कॉल कर बता दूंगा। जिस पर मेने अपने मोबाईल फोन से आपसे वार्ता कर बाद हिदायत परिवादी एवं उसके पुत्र को रूखसत किया''। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो श्री दिनेश कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों ताईद होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया।

दिनांक 19.10.2023 को समय करीब 10:25 एएम परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता दोनो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि '' कल दिनांक 18.10.2023 को श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब का कॉल नही आया जिस पर आज मैं कार्यालय पर आया हूं। आज श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब कार्यालय में ही उपस्थित होंगे इसलिये अभी उनके मोबाईल फोन पर वार्ता कर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु नगर निगम उदयपुर जाना हैं''। जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि से कार्यालय की अलमारी में रखा हुआ डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाकर रिकार्डर को चालू कर समय करीब 10:38 एएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9414733355 से श्री आवेश मोहम्द एक्सईएन के मोबाईल नम्बर 9829680305 पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल फोन को लॉउड मोड पर चालू कर वार्ता करवाई तो संदिग्ध आरोपी श्री आवेश मोहम्मद द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता को कार्यालय नगर निगम उदयपुर पर बुलाया गया। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 10:45 एएम परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता एवं श्री दिनेश कुमार कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ देकर परिवादी की निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु कार्यालय नगर निगम उदयपुर की ओर रवाना किया जो समय करीब 11:55 एएम पर पुनः श्री दिनेश कुमार कानि मय परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसका पुत्र श्री निखिल मेहता के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। श्री दिनेश कुमार कानि ने ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मेने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि ''आपके निर्देशानुसार मैं, मेरा पुत्र श्री निखिल मेहता एवं श्री दिनेश कुमार जी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर मेरी कार से कार्यालय नगर निगम उदयपुर गये। नगर निगम से पहले कुछ दूरी पर रूके जहां श्री दिनेश जी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर दिया मेने अपने पहने हुए कपडो के बींच छुपाकर रखा। इसके बाद मैं एवं मेरा पुत्र श्री निखिल मेहता दोनो एक्सीएन साहब श्री आवेश मोहम्मद से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु नगर निगम उदयपुर परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में गये दिनेश कुमार जी नगर निगम से कुछ दूरी पहले बाहर ही खडे रहे थे। मै एवं मेरा पुत्र दोनो नगर निगम स्थित आवेश मोहम्मद के कार्यालय में गये जहां श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब उपस्थित मिले जिनसे हमने हमारी फर्म के बिल पास कराने सम्बधित वार्ता की तो श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब ने माह जून एवं जुलाई 2023 के बिलो को पास करने की एवज में 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की एवं माह अगस्त सितम्बर 2023 के बिलो को पास करने की एवज में 15,240 रूपये कुल 55,240 रूपये रिश्वत की मांग की जिस पर मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर एक्सईएन साहब ने 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की सहमति दी है। श्री आवेश मोहम्मन एक्सईएन साहब ने आज ही शाम को 4:00 बजे बाद रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। श्री दिनेश कुमार कानि द्वारा भी परिवादी के कथनो की ताईद की गई। जिस पर वार्ता सत्यता हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होना एवं संदिग्ध आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता से उसकी फर्मो के बिलो को पास करने की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड को सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक के

पास रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 50,000 की व्यवस्था कर पुनः समय करीब 2.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी एवं उसके पुत्र दोनो को कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रीम ट्रेप कार्यवाही में दो सरकारी स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के नाम तहरीर जारी कर स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश चुण्डावत पुत्र स्व. श्री शंकर सिंह चुण्डावत उम्र 42 वर्ष निवासी मकान नं. 20 कुम्भानगर हि.मगरी सेक्टर नम्बर 4 उदयपुर हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी सीसीएफ उदयपुर एवं श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री हनुमंत सिंह चुण्डावत उम्र 34 वर्ष निवासी गांव देवपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमंद हाल क्षेत्रिय वन अधिकारी सीसीएफ उदयपुर की तलबी की गई। कुछ समय बाद परिवादी श्री भगवती मेहता एवं श्री निखिल मेहता ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन को दी जाने वाली रिश्वत राशि 50,000 रूपये की व्यवस्था कर अपने साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी एवं श्री निखिल मेहता को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाह तलबिदा उपस्थित हुए जिस पर उपरोक्त गवाह को मंतव्य से अवगत करा परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता का दोनो गवाहान से आपस में परिचय करा गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2023 को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द स्वयं की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 18.10.2023 को परिवादीगण एवं संदिग्ध आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के मध्य नगर निगम उदयपुर पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधित वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन की होने की ताईद की। जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क "A" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवायें गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को परिवादी भगवती मेहता एवं संदिग्ध आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के परिवादी के समय करीब 10:38 एएम पर परिवादी श्री भगवती मेहता के मोबाईल नम्बर 9414733355 से श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के मोबाईल नम्बर 9829680305 पर हुई वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाज संदिग्ध लोकसेवक श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन की होने की ताईद की। जिस पर श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी एवं एक आईओ सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर मार्क "B" अंकित किया गया तथा गवाह एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवायें गये। दोनों स्वंतत्र गवाहान ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज दिनांक 19.10.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के मुख्य अंश चलाकर गवाहान को सुनाये गये तो गवाहान द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्ठि की गई। इसके बाद स्वंतत्र उपरोक्त गवाह के समक्ष श्री मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री भगवती मेहता से मांगने पर परिवादी ने पास से 500-500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

क.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593401
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593402
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593403
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593404
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593405

6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593406
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593407
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593408
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593409
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593410
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593411
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593412
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593413
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593414
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593415
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593416
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593417
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593418
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593419
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593420
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SA 699978
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2LK 496874
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KB 225642
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FV 267926
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6AU 444706
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AC 269780
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AA 050853
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7NP 536077
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PC 107754
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6CP 836738
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GP 679895
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GF 507547
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CQ 679655
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SW 004727
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GM 776350
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QS 497150
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1BB 591184
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8NM 543496
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5QN 269343
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QM 542467
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4WE 904952
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2EM 631164
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AQ 296550
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9BK 828026
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0SH 218476
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4SA 763425
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9VM 900809
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2SN 336216
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0UM 719208
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8NA 922244
51.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LB 193734
52.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7RB 484284
53.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3RD 798978
54.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AF 806709
55.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SC 511256
56.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ER 535293
57.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4DE 044194
58.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AF 731458

59.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GP 200882
60.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2TF 702765
61.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KM 201833
62.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2SN 811323
63.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FV 439987
64.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4VA 420262
65.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2VE 823398
66.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8DE 580340
67.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QT 637222
68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5FF 892141
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BW 826125
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FT 341918
71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HR 867093
72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BQ 212914
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MQ 743917
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1VF 955680
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6AK 927556
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8GV 154015
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3QE 180128
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DV 286599
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VU 058096
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FK 772637
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3PU 733182
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AM 365039
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CT 771843
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7ML 240093
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CQ 947662
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3GN 683229
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1QW 836519
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BS 381935
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ML 290458
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 962555
91.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 962554
92.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HV 426198
93.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9WD 654687
94.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NR 502008
95.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QS 328204
96.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7UF 243276
97.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TQ 377696
98.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VT 561273
99.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3AQ 247152
100.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DP 759873

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो के नंबरों का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक से मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 50,000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्रसिंह से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री भारतसिंह कानि0 से एक प्लास्टिक की पारदर्शी साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग

अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री विनोद कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री आवेश मोहम्मद को उनकी मांग अनुसार 50,000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात वह अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल देकर ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के फोन में सेव करवाये। तत्पश्चात श्री भगवती प्रसाद को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस कर सुपुर्द किया गया। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी को श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब रिश्वत राशि लेने हेतु दुधतलाई स्थित मेरी दुकान पर आ सकते है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समय करीब 4.50 पीएम पर परिवादी श्री भगवती मेहता, श्री निखिल मेहता एवं श्री दिनेश कुमार कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की कार से आगे - आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश घुण्डावत, श्री राजेन्द्रसिंह, श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि, हेड कानि. श्री लालसिंह, श्री चन्द्रकान्त व्यास, टेक्सी वाहन से मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधनो के एवं कानि. श्री प्रदीप, श्री भारत सिंह निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से ब्युरो कार्यालय से दुधतलाई की ओर रवाना हो दुधतलाई के पास पंहुचे जहां समय करीब 5.05 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9414733355 से आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के मोबाईल नम्बर 9829680305 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने परिवादी से रिश्वत राशि लेकर स्मार्ट सीटी, नगर निगम, परिसर उदयपुर के पास बुलाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता, श्री निखिल मेहता एवं श्री दिनेश कुमार कानि को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की कार से आगे - आगे रवाना कर पीछे - पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाप्ता मय प्रिन्टर लेपटॉप, ट्रेप बॉक्स मय टेक्सी वाहन एवं प्राईवेट मोटरसाईकिल से दुधतलाई से रवाना होकर नगर निगम के पास स्थित रेगर कॉलोनी रोड पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री दिनेश कुमार कानि. से चालू करवा परिवादी को दिया जिसे उसने अपने पहने हुए कपडों में छुपाया। तत्पश्चात् परिवादी एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता तथा श्री दिनेश कुमार कानि. परिवादी की कार से आरोपी श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन के बताए गये स्थान स्मार्ट सीटी परिसर की ओर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री सुरेश कुमार सोनी, श्री लाल सिंह हेड कानि. कार्यालय स्मार्ट सीटी के सामने स्थित मैन रोड पर टैक्सी वाहन में खडे रहकर तथा श्री चन्द्रकान्त हेड कानि., श्री भारत सिंह कानि. एवं श्री प्रदीप कानि. को नगर निगम पार्किंग मे रवाना कर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। समय 5.21 पी.एम. पर परिवादी श्री भगवती मेहता ने अपने मोबाईल नम्बर 9414733355 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414267591 पर कॉल कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त

स्वतंत्र गवाहान जाप्ता नगर निगम पार्किंग के पास चैनल गैट पर खडे परिवादी एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता के पास पंहुचे तो परिवादी ने बताया कि ''नगर निगम परिसर आकर मेरे मोबाईल फोन से मेरे पुत्र ने श्री आवेश मोहम्मद के फोन पर कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं रजिस्टर रख कर बाहर आ रहा हुं। जिस पर मैं एवं मेरा पुत्र बाहर पार्किंग में खडे रहे तभी वहां पर मैन गैट के अन्दर से श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब बाहर आये जिस पर मैने उन्हें उनकी मांग के अनुसार 50,000/– रूपये रिश्वत राशि देने लगा तो उन्होंने कहा कि यहां बाहर लोग देख रहे हैं अन्दर आ जाओ जिस पर हम तीनों गैलेरी के अन्दर आये इसके बाद उन्होंने अपनी पहनी हुई पेंट की जैब से एक काले रंग की पोलिथीन की थेली निकाल कर कहा कि इस थेली में डाल दो जिस पर मैने 50,000/– रिश्वत राशि उनके कहे अनुसार पोलिथीन की थेली में डाले जिस पर थेली को उन्होंने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जैब में रखी मेने उनको मेरी फर्मों के बील पास करने को कहा तो उन्होंने कहा कि कल आपका काम हो जायेगा। इसके बाद एक्सईएन साहब पुनः उनके कार्यालय की तरफ चले गये है। जिस पर मैने मोका देख कर आपको कॉल किया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार कानि को परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान जाप्ता, परिवादी, परिवादी के पुत्र श्री निखिल मेहता को हमराहियान लेकर परिवादी के बताये अनुसार नगर निगम परिसर स्थित कमरा नम्बर 34 सहायक अभियंता, निर्माण शाखा में प्रवेश किया तो उक्त कक्ष में एल्यूमिनियम के पार्टेशन बने हुए होकर उसमें बेठे हुए एक व्यक्ति की ओर हाथ से ईशारा कर बताया कि यही श्री आवेश मोहम्मद एक्सईएन साहब है, जिन्होंने अभी–अभी अपनी मांग अनुसार 50,000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पास रखी काले रंग की पोलिथीन की थेली में रखवाये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर तथा अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उस व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अवैस मोहम्मद पुत्र श्री साबीर मोहम्मद, उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 260, मुखर्जी चौक, सब्जी मण्डी, उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.) होना बताया। जिस पर आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियन्ता को परिवादीगण श्री भगवती मेहता एवं श्री निखिल मेहता से अभी – अभी नगर निगम की गैलेरी में 50,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर काले रंग की प्लास्टिक की थेली में रखवा कर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जैब में रखने के बारे में पुछने पर आरोपी ने बताया कि साहब मेने श्री भगवती मेहता से कोई रिश्वत राशि ग्रहण नही की है। श्री भगवती मेहता झुठ बोल रहे हैं। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि श्री अवैस मोहम्मद झुठ बोल रहे हैं। नगर निगम उदयपुर द्वारा उद्यानों के संधारण एवं रखरखाव हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने का ठेका जरिये निविदा मेरी फर्मों मेसर्स भगवती मेहता एवं ओम इन्टरप्राईजेज को मिला जिसमें दिनांक 01.07.2022 से 31.08.2023 तक उदयपुर शहर के विभिन्न उद्यानों के संरक्षण के संधारण एवं रखरखाव हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने का टेण्डर का कार्य मेरी फर्मों द्वारा किया गया। उक्त कार्यों के बिलों की राशि कुल 7,87,924 रूपये के भुगतान की एवज में श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, जिला उदयपुर द्वारा 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी पहनी हुई पेंट की जैब से एक काले रंग की पोलिथीन की थेली निकाल कर कहा कि इस थेली में डाल दो जिस पर मैने 50,000/– रिश्वत राशि उनके कहे अनुसार पोलिथीन की थेली में डाले जिस पर थेली को उन्होंने अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जैब में रखा। मेने उनको मेरी फर्मों के बील पास करने को कहा तो उन्होंने कहा कि कल आपका काम हो जायेगा। जिस पर आरोपी श्री अवैस मोहम्मद हाथ जोडकर माफी मांगने लगा और कहने लगा साहब गलती हो गई मुझे माफ कर दो, मेरा केरियर खराब हो जाएगा आईन्दा ऐसी गलती कभी नही करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दो। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियन्ता को परिवादी श्री भगवती मेहता से ग्रहण की गई रिश्वत राशि कहां रखी है के बारे में पुछा तो उसने बताया कि मेने श्री भगवती मेहता जी से 50,000 रूपये अपने पास रखी काले रंग की पोलिथीन की थैली में रखवाकर अपने पेंट की पहनी हुई दाहिनी जेब में रखकर मेरे कार्यालय कक्ष में आकर एसीबी कार्यवाही की शंका होने से कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी के उपर रखी हुई फाईलो के बस्तो के बीच में छुपाकर रखी है। जिस पर आरोपी श्री अवैस मोहम्मद को अलमारी के बारे में पुछा तो आरोपी ने उक्त कार्यालय मे रखी एक लकडी की अलमारी की ओर ईशारा कर बताया कि इस अलमारी के उपर रखे हुए फाईलो के कपडे के बस्ते के नीचे काले रंग की पोलिथीन थेली में रखे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान जाप्ता के समक्ष स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्रसिंह चुण्डावत से तलाशी लिवाई गई तो उक्त लकडी की अलमारी पर रखे हुए कपडे के फाईलो के बस्ते के नीच काले रंग की पोलिथीन की थैली मिली। उक्त थैली को स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र सिंह से उठवाकर थेली को खुलवाकर दिखवाया तो उसमे 500–500 रूपये के नोटो का बंडल होना पाया

गया। जिस पर उक्त नोटो को गवाह श्री राजेन्द्र सिंह से ही निकलवाये जाकर गिनवाये तो 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 50,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो एवं थैली को गवाह श्री राजेन्द्रसिंह के पास सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी श्री अवैस मोहम्मद द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त पोलिथीन की थैली को अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने से आरोपी के हाथों पर नोटो पर लगा हुआ फिनोफ्थलीन पाउडर लगने की आशंका होने से तथा आरोपी द्वारा ग्रहण की गई रिश्वत राशी के बारें में वास्तविकता जानने हेतु श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से टेक्सी वाहन में रखा ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। तत्पश्चात् श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में आरोपी श्री अवैस मोहम्मद के कार्यालय में रखी पीने के पानी की बॉटल में से साफ पानी को अलग–अलग प्लास्टिक की डिस्पोजल पारदर्शी गिलासो में भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश चुण्डावत से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाई जाकर एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर दोनों गिलासों में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मट मैला हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH–1 व RH –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को दूसरे गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमैला हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH –1 व LH –2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजल पारदर्शी गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी को भरवाकर स्वतंत्र गवाह श्री अविनाश चुण्डावत से एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास में डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास के घोल में आरोपी श्री अवैस मोहम्मद द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 50,000 जिसे काले रंग की पोलिथीन की थैली में रखा था उक्त थैली को गवाह श्री अविनाश चुण्डावत से उलटवाकर उक्त गिलास के घोल में डबोकर धुलवाया गया तो धोवन रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P–1 व P–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त काले रंग की पोलिथील की थैली को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में वजह सबूत सिलचिट कर कपडे की थैली मार्क P अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री राजेन्द्र सिंह के पास रखे नोटो 500–500 रूपये को दोनो गवाहान से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों कें नंबर से मिलान करवाया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु निम्नानुसार होना बताया –

क.स.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593401
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593402
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593403
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593404
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593405
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593406
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593407
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593408
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593409
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593410
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593411
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593412
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593413
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593414
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593415
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593416
17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593417

18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593418
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593419
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8TA 593420
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SA 699978
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2LK 496874
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4KB 225642
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FV 267926
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6AU 444706
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AC 269780
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AA 050853
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7NP 536077
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PC 107754
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6CP 836738
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GP 679895
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GF 507547
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CQ 679655
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9SW 004727
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GM 776350
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QS 497150
37.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1BB 591184
38.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8NM 543496
39.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5QN 269343
40.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QM 542467
41.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4WE 904952
42.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2EM 631164
43.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9AQ 296550
44.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9BK 828026
45.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0SH 218476
46.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4SA 763425
47.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9VM 900809
48.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2SN 336216
49.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0UM 719208
50.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8NA 922244
51.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LB 193734
52.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7RB 484284
53.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3RD 798978
54.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5AF 806709
55.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SC 511256
56.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ER 535293
57.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4DE 044194
58.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AF 731458
59.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1GP 200882
60.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2TF 702765
61.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2KM 201833
62.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2SN 811323
63.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8FV 439987
64.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4VA 420262
65.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2VE 823398
66.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8DE 580340
67.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QT 637222
68.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5FF 892141
69.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BW 826125
70.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FT 341918

71.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HR 867093
72.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BQ 212914
73.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7MQ 743917
74.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1VF 955680
75.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6AK 927556
76.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8GV 154015
77.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3QE 180128
78.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2DV 286599
79.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VU 058096
80.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FK 772637
81.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3PU 733182
82.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AM 365039
83.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7CT 771843
84.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7ML 240093
85.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4CQ 947662
86.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3GN 683229
87.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1QW 836519
88.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7BS 381935
89.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6ML 290458
90.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 962555
91.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TP 962554
92.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HV 426198
93.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9WD 654687
94.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2NR 502008
95.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9QS 328204
96.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7UF 243276
97.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7TQ 377696
98.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3VT 561273
99.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3AQ 247152
100.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1DP 759873

जिस पर उक्त नोटों को वजह सबूत कागज की चिट में सीलबंद किया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुए पेंट की जेब में एक मोबाईल फोन सेमसंग गेलेक्सी एस 22 मॉडल एसएम–एस 901 ई/डीएस बरंग ग्रीन मिला जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त मोबाईल फोन को पृथक से जरिये फर्द कर जब्त किया जावेगा। जब्तशुदा आर्टीकल धोवन शिशियों को श्री सुरेश कुमार सोनी को संभलाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये।

तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भगवती मेहता की फर्मो के बिलो के भुगतान संबधित दस्तावेज के बारे में पुछने पर आरोपी ने अपने कार्यालय केबिन में रखी टेबल की दराज मे से 2 पत्रावलियां निकाल कर प्रस्तुत की जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाहान की उपस्थित में उक्त दोनो पत्रावलीयों का अवलोकन किया तो पत्रावलीयों में भगवती मेहता फर्म एवं ओम इन्टरप्राईजेज फर्म के नाम से हो उक्त पत्रावलीयो में नगर निगम उदयपुर द्वारा नगर निगम एरिया में विभिन्न उधानो के रख रखाव के कार्य के लिये कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने की निविदा से संबधित होना पाई गई। उक्त भगवती मेहता फर्म की पत्रावली मे माह अगस्त 2023 का बिल नम्बर 56 दिनांक 02.09.2023 का राशि 2,09,894 /– एवं माह सितम्बर 2023 का बिल नम्बर 57 दिनांक 02.10.2023 का राशि 1,85,219.96 /– मूल लगा हुआ पाया गया। इसी प्रकार ओम इन्टरप्राईजेज पत्रावली में माह अगस्त 2023 का बिल नम्बर 60 दिनांक 02.09.2023 राशि 2,08,907 एवं सितम्बर का बिल नम्बर 61 दिनांक 02.10.2023 राशि 1,83,904 /– होते है। इसी दौरान श्री चन्द्रांशु राय नागौरी वरिष्ठ लिपिक नगर निगम उदयपुर उपस्थित आये जिसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो मूल पत्रावलीयां देकर पत्रावलीयों की प्रमाणित प्रतियां चाही तो उनके द्वारा उक्त दोनो पत्रावलीयों की फोटो कॉपी करा प्रमाणित प्रतियां मन् पुलिस निरीक्षक को

उपलब्ध करवायी जिनके प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ पर गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री चन्द्रांशु राय नागौरी वरिष्ट लिपिक को नगर निगम उदयपुर के उपस्थिति पंजिका के माह अक्टुम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद के सेवा विवरण चाहने हेतु तेहरीर देकर आरोपी का सेवाविवरण एवं उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित फोटो प्रति प्राप्त कर गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद उपरोक्त स्वतंत्र गवाह, परिवादी श्री भगवती मेहता एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद की उपस्थिति में रिश्वत राशि ग्रहण एवं बरामदगी स्थल नगर निगम परिसर उदयपुर का फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। बाद कार्यवाही समय करीब 08:15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री अविनाश चुण्डावत एवं श्री राजेन्द्रसिंह मय डिटेनशुदा आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेश कुमार सोनी मय ट्रेप बॉक्स, श्री लाल सिंह हेड कानि, श्री चन्दकांत, श्री भारत सिंह कानि, श्री प्रदीप कुमार कानि एवं श्री दिनेश कुमार कानि के मय प्राईवेट टैक्सी वाहन एवं मोटरसाईकिल के अपने अपने वाहनो से तथा परिवादी श्री भगवती मेहता एवं उसके पुत्र श्री निखिल मेहता उनकी निजी कार कार्यालय नगर निगम उदयपुर से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय एसयू उदयपुर पहुंच शेष कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर परिवादीगण श्री भगवती मेहता, श्री निखिल मेहता एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद के मध्य दिनांक 19.10.2023 को कार्यालय नगर निगम उदयपुर में रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादीगण एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना स्वीकार किया। श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता की एक मूल एवं एक डब सीडी एवं एक आईओ सीडी मुर्तिब की गई। मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद की जाकर मार्क "C" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई।

तत्पश्चात् परिवादीगण श्री भगवती मेहता, श्री निखिल मेहता एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद के मध्य दिनांक 19.10.2023 को कार्यालय नगर निगम परिसर उदयपुर में रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादीगण एवं आरोपी श्री अवैस मोहम्मद को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना स्वीकार किया। श्री दिनेश कुमार कानि0 से फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता की एक मूल एवं एक डब सीडी एवं एक आईओ सीडी मुर्तिब की गई। मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा सीडी को कपडे की थेली में सीलबंद की जाकर मार्क "D" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर कब्जे ब्यूरों ली गई। तत्पश्चात आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता नगर निगम उदयपुर द्वारा पुलिस अधिकारी की मौजुदगी में संज्ञेय अपराध कारित से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अवैस मोहम्मद की जामातलाशी में मिला एक मोबाईल फोन मोबाईल फोन सेमसंग गेलेक्सी एस 22 मॉडल एसएम-एस 901 ई/डीएस बरंग ग्रीन जिसके आईएमईआई नम्बर कमशः प्रथम 355066968160210 एवं दूसरा आईएमईआई नम्बर 356497468160211 है। उक्त मोबाईल ड्यूअल सिम होकर एक सिम जिओ कम्पनी की 9829680305 एवं दूसरी सिम वोडा फोन की है जो बंद होना पाई गई। उक्त मोबाईल को वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "M" अंकित किया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.10.2023, मोबाईल फोन वार्ता दिनांक 19.10.2023 एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 19.10.2023 के दौरान ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 16 जीबी बरंग लाल एवं ग्रे को मूल ही परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करा मार्क "E " अंकित किया गया। आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाईल फोन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता में उसकी आवाज ब्यूरो के रिकार्डर में रिकॉर्ड होने से उसे उसकी आवाज का नमूना देने हेतु ब्यूरो कार्यालय पत्रांक 2650 दिनांक 20.10.2023 दिया गया। जिस पर आरोपी श्री अवैस मोहम्मद ने अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। पत्र की प्रति को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। बाद कार्यवाही आरोपी को रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हाथीपोल में जमा कराया।

कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि को संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई। बाद आरोपी को थाने से प्राप्त कर स्वास्थय परीक्षण करा पुछताछ नोट मुर्तिब किया। इसके बाद गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता, नगर निगम उदयपुर को माननीय सेशन एवं विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात उदयपुर कमांक 01 के समक्ष पेश किया जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी श्री अवैस मोहम्मद अधिशाषी अभियंता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाने से न्यायालय से जेसी वारंट प्राप्त कर केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में जमा करा रसीद प्राप्त की गई।

इस प्रकार आरोपी श्री अवैस मोहम्मद पुत्र श्री साबीर मोहम्मद, उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं. 260, मुखर्जी चौक, सब्जी मण्डी, उदयपुर हाल अधिशाषी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर द्वारा परिवादी श्री भगवती मेहता की फर्मो मैसर्स भगवती एवं ओम इन्टरप्राईजेज के द्वारा नगर निगम उदयपुर के उधानो के संधारण एवं रख रखाव कार्यो के मैसर्स भगवती मेहता फर्म के माह अगस्त 2023 का बिल नम्बर 56 दिनांक 02.09.2023 का राशि 2,09,894 /- एवं माह सितम्बर 2023 का बिल नम्बर 57 दिनांक 02.10.2023 का राशि 1,85,219.96 /- एवं ओम इन्टरप्राईजेज फर्म के माह अगस्त 2023 के बिल नम्बर 60 दिनांक 02.09.2023 राशि 2,08,907 रूपये एवं सितम्बर 2023 माह के बिल नम्बर 61 दिनांक 02.10.2023 राशि 1,83,904 /- कुल 7,87,924.96 /- के बिलो के भुगतान की करने की एवज 50,000 रूपये मांग करने के पश्चात् परिवादी के हाथ से ही अपने पास रखी हुई काली पोलिथीन की थैली में रखवाकर थैली को अपने हाथों से अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखने के बाद अपने कार्यालय कक्ष में जाकर उक्त काले रंग की थैली को एक लकडी की अलमारी के उपर रखे हुऐ कपडे के फाईलो के बस्तो के बीच छुपाकर रखना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (संशाधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अवैस मोहम्मद पुत्र श्री साबीर मोहम्मद, अधिशाषी अभियंता, नगर निगम उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 277/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

20/10/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2954-57 दिनांक 20.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।